

15/03
24

वकील वादी उपस्थित। ये दावा फौज
में चलाया जाये। इसी स्तर पर खारिज
करने का निवेदन किया है। वकील वादी
को सुना गया। इसके निवेदन पर मह दावा
खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर नम्बर
से काट ले तथा तारीख तर्काल होकर
दाखिल दफ्तर हो।

दावा फौज
चलाया
नहीं जाये
स,

कम